अध्याय 18

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार द्वारा प्रायोजित दुकानों की एक शृंखला है जिसे समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सस्ती कीमतों पर बुनियादी खाद्य और गैर–खाद्य वस्तुओं को वितरित करने का काम सौंपा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत स्थापित की गई है। दिल्ली भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किए जाने के तुरंत बाद 1 सितंबर 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य था।

1.2 दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एनएफएस अधिनियम, 2013 के तहत सभी खाद्य कार्ड धारकों को गेहूं और चावल तथा केवल अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड धारकों को चीनी वितरित करता है। सरकार ने लाभार्थियों की शिकायतों के प्रभावी और समय पर निवारण के लिए दिल्ली लोक शिकायत आयोग को राज्य खाद्य आयोग के रूप में नामांकित किया है। पीडीएस को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार द्वारा सुधार के कई उपाय किए गए हैं जैसे लाभार्थियों को एसएमएस अलर्ट जारी करना और जनता की शिकायतों/कठिनाइयों पर ध्यान देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1967 और 1800–110–841 स्थापित करना।

.2 दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति

रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार का सार्वजनिक वितरण नेटवर्क जिसमें दिल्ली भर में 1997 उचित दर दुकानें (एफपीएस) शामिल हैं, 31 मार्च 2023 तक 17.84 लाख डिजिटल खाद्य सुरक्षा कार्डों के माध्यम से 72.78 लाख लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड आधार सक्षम हैं। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग एनएफएसए के तहत अनिवार्य रूप से समय–समय पर लाभार्थी डेटा का सत्यापन करता रहा है। पिछले 10 वर्षों में रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार द्वारा जारी उचित मूल्य की दुकानों की संख्या और राशन कार्डों की कुल संख्या नीचे विवरण 18.1 में दी गई है।

विवरण 18.1

दिल्ली में 2013–14 से 2022–23 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	राशन कार्डों की संख्या (लाख में)	उचित दर दुकानों (एफपीएस) की संख्या
1	2013-14	17.79	2396
2	2014-15	17.00	2310
3	2015-16	19.50	2283
4	2016-17	19.41	2254
5	2017-18	19.41	2210
6	2018-19	17.17	2057
7	2019-20	17.50	2029
8	2020-21	17.77	2000
9	2021-22	17.80	2009
10	2022-23	17.84	1997

स्रोत: खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार

मार्च 2023 में दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 1997 है और मार्च 2023 में प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के पास औसतन लगभग 894 राशन कार्ड हैं। राशन कार्ड और उचित मूल्य की दुकानों का जिलेवार वितरण विवरण 18.2 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 18.2

वर्ष 2022–23 में दिल्ली में जिलावार सार्वजनिक वितरण प्रणाली

क्र. सं.	ज़िले	एफपीएस संख्या	प्रतिशत	राशन कार्ड की संख्या	प्रतिशत	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
1.	मध्य	133	6.66%	135268	7.58%	527134	7.24%
2.	पूर्वी	207	10.37%	163346	9.15%	676065	9.29%
3.	नई दिल्ली	96	4.80%	84690	4.75%	339421	4.66%
4.	उत्तरी	156	7.81%	161057	9.02%	631675	8.68%
5.	उत्तर–पूर्वी	318	15.93%	277819	15.57%	1167242	16.04%
6.	उत्तर–पश्चिमी	301	15.08%	311156	17.44%	1278580	17.57%
7.	दक्षिण	255	12.76%	223223	12.51%	935801	12.86%
8.	दक्षिण–पश्चिमी	294	14.73%	235911	13.22%	945655	12.99%
9.	पश्चिमी	237	11.86%	191972	10.76%	776422	10.67%
कुल		**1997**	**100 %**	**1784442**	**100 %**	**7277995**	**100 %**

स्रोतः खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार

उपरोक्त कथन से यह देखा जा सकता है कि 2022–23 के दौरान उत्तर पश्चिम जिले में सबसे अधिक कार्ड धारकों की संख्या दर्ज की गई, जबकि, दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में उचित मूल्य की दुकानों की सबसे अधिक संख्या बताई गई है।

3. **लाभार्थियों की पात्रता –** विवरण 18.3 के अनुसार लाभार्थी विभिन्न श्रेणियों के तहत खाद्यान्न के हकदार हैं।

विवरण 18.3

प्रतिमाह लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न प्राप्ति पात्रता और दर

क्र. सं.	खाद्य सामग्री	श्रेणी	मात्रा	दर/किलोग्राम
1	गेहूं	एएवाई	25 कि.ग्रा/प्रति कार्ड	2
		पीएचएच	3 कि.ग्रा/प्रति सदस्य	
2	चावल	एएवाई	10 कि.ग्रा./प्रति कार्ड	3
		पीएचएच	2 कि.ग्रा./प्रति सदस्य	
3	चीनी	एएवाई	1 कि.ग्रा./प्रति कार्ड	13.50

स्रोतः खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार।
नोट : एएवाई–अंत्योदय अन्न योजना, पीएचएच– प्राथमिकता परिवार श्रेणी।

4. 2021–22 और 2022–23 के दौरान दिल्ली में आवंटित खाद्यान्न और चीनी की मात्रा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इन्हें उपलब्ध कराए जाने से संबंधित जानकारी विवरण 18.4 में दी गई है।

विवरण 18.4
वर्ष 2021–22 और 2022–23
के दौरान दिल्ली में पीडीएस के माध्यम से अनाज और चीनी का वितरण

(मात्रा '000 मीट्रिक टन में)

क्र. सं.	विवरण	मद					
		गेहूं (एनएफएस)		चावल (एनएफएस)		चीनी (एनएफएस के अलावा)	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
1.	आवंटित मात्रा	355.73	283.77	92.00	164.94	0.82	0.76
2.	वितरण के लिए ली गई मात्रा	351.60	282.23	90.97	162.63	0.75	0.68
3.	वितरित मात्रा का प्रतिशत	98.80	99.45	98.80	98.60	91.50	89.47

स्रोतः खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार

5. **अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)** देश में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी में निर्धनतम लोगों को भूख से मुक्ति दिलाने की दिशा में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को सक्षम बनाने के लिए उठाया गया कदम है। इस श्रेणी के लोगों के लिए टीपीडीएस को अधिक प्रभावी और लक्षित बनाने के उद्देश्य से 'अंत्योदय अन्न योजना' की शुरूआत दिसंबर 2000 में उन गरीब परिवारों के लिए की गई जिन्हें वर्ष भर नियमित रूप से दो जून का भोजन नहीं मिल पाता और जिनकी क्रय शक्ति इतनी कम है कि वे अनाज खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं। योजना के तहत भूख से जूझ रहे निर्धनतम लोगों को 35 किलोग्राम अनाज (25 किलोग्राम गेहूं और 10 किलोग्राम चावल) प्रति माह, 2 रुपए किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो ग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को एक किलो चीनी प्रति परिवार प्रतिमाह मुफ्त दिया जा रहा है। 31 मार्च 2023 तक 68,733 परिवारों के 2,80,264 सदस्य दिल्ली में इस योजना के तहत लाभान्वित हुए।

जबकी, 31.03.2023 तक कुल 68674 परिवारों में से लगभग 56700 परिवारों को पात्रता के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न और चीनी दी गई।

6. **कल्याणकारी संस्थाओं/छात्रावास योजना के लिए बीपीएल दरों पर खाद्यान्न**

भारत सरकार की योजना के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सरकारी कल्याणकारी संस्थाओं तथा बाल निकेतन जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावासों, बालिका गृह, महिलाओं के लिए लघु अवधि आश्रय गृह, विधवा आश्रम, महिलाओं के लिए देखभाल गृह और नारी निकेतन में रह रहे वंचित लोगों को बीपीएल दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के अनुसार इन कल्याणकारी संस्थानों और छात्रावासों के लिए रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

7. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा टीडीपीएस में प्रोद्योगिकी आधारित सुधार**

(i) एफपीएस को राशन भेजने के संबंध में एसएमएस अलर्ट

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कंप्यूटरीकरण के लिए दिल्ली राज्य आपूर्ति निगम में निर्दिष्ट खाद्य वस्तु (SFA) ऑफटेक मॉड्यूल लागू किया गया है। क्षेत्र के

माननीय विधायक की अध्यक्षता में सतर्कता समिति, संबंधित एफएसओ, निरीक्षक और राशनकार्ड धारकों, जिन्होंने वेबसाइट में अपने मोबाइल नंबर पंजीकृत किए हैं, को गोदाम से निर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं जारी करने के बारे में एसएमएस अलर्ट भेजा जा रहा है। कोई भी राशनकार्ड धारक www.nfs.delhigovt.nic.in लिंक पर अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत कराकर संबधित एफपीएस के बारे में एसएमएस प्राप्त कर सकता है।

(ii) ई–राशन कार्ड

ई–राशन कार्ड की सुविधा अप्रैल 2015 से शुरू की गई है। लगभग 18,95,925 राशन कार्ड धारक अपने संबंधित स्थानों से राशनकार्ड डाउनलोड करके लाभ उठा चुके हैं। इससे पारदर्शिता बढी है और लाभार्थियों तक राशन कार्ड सुविधा तेजी से पहुंचाने में मदद मिली है।

8. PAHAL

1. PAHAL योजना पहले 1 जून 2013 को शुरू की गई थी। इसमें रसोई गैस सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के पास आधार नंबर होना अनिवार्य था। उपभोक्ताओं की दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने इसे संशोधित कर इसे 15 नवम्बर, 2014 को फिर से लागू किया।

2. संशोधित PAHAL कार्यक्रम के तहत रसोई गैस उपभोक्ता दो तरीकों से अपने बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उपभोक्ता को सीटीसी (कैश ट्रांसफर कम्पलिएंट) कहा जाता है और इसके साथ ही वह बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है। ये विकल्प इस प्रकार हैं:

- विकल्प–1 (प्राथमिक): जहां आधार संख्या उपलब्ध हो, उसे नकदी हस्तांतरण का माध्यम बनाया जाता है। इस तरह जिस उपभोक्ता के पास आधार संख्या हो, वह आधार संख्या को एलपीजी उपभोक्ता संख्या और बैंक खाते के साथ जोड़ सकता है।
- विकल्प–2 (द्वितीयक) : यदि एलपीजी उपभोक्ता के पास आधार संख्या नहीं है, तो वह आधार संख्या का इस्तेमाल किए बिना बैंक खाते में सीधे सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। इस विकल्प को संशोधित योजना से शुरू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधार संख्या के अभाव में कोई भी एलपीजी उपभोक्ता बैंक खाते में सब्सिडी से वंचित न हो।

मार्च 2023 को दिल्ली में पहल की स्थिति

रसोई गैस उपभोक्ताओं की कुल संख्या	53,34,023
PAHAL लाभार्थियों (सीटीसी उपभोक्ताओं) की कुल संख्या	42,10,111
आधार एटीसी (संख्या) से जुड़े PAHAL लाभार्थियों की कुल संख्या	39,10,811
आधार एटीसी से जुड़े PAHAL लाभार्थियों की कुल संख्या (प्रतिशत)	92.89%

स्रोत: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार

9. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नयोजना (पीएमजीकेएवाई)

कोविड–19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक पीडीएस लाभार्थियों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिमाह अतिरिक्त पांच किलोग्राम अनाज (चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल) प्रति लाभार्थी सदस्य और एक किलोग्राम दाल प्रतिमाह प्रति परिवार, भारत सरकार द्वारा सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

(फेज–1 और फेज–2) के अंतर्गत निशुल्क उपलब्ध कराया गया। इस योजना को सरकार द्वारा फिर से लागू किया गया। भारत में पीएमजीकेएवाई (चरण–III, IV और V) के तहत मई, 2021 से मार्च, 2022 तक, जिसमें सभी एनएफएस लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी केवल 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया गया था। इस योजना को अगले 6 महीने यानी अप्रैल–सितंबर, 2022 (पीएमजीकेएवाई–VI) के लिए बढ़ा दिया गया था। परन्तु, गेहूं की आपूर्ति में कमी के कारण, भारत सरकार ने (पीएमजीकेएवाई– VI) के तहत प्रति लाभार्थी 5 किलोग्राम अनाज की पात्रता को संशोधित करते हुए 4 किलोग्राम गेहूं के स्थान पर 1.25 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल की बजाय 3.75 किलोग्राम वावल में तब्दील कर दिया था। मई, 2022 से भारत सरकार ने अनाज की मात्रा को फिर से पिछले मानदंडों के अनुसार संशोधित कर दिया। इस योजना को फिर से तीन महीने यानी अक्टूबर–दिसंबर, 2022 (पीएमजीकेएवाई– VII) के लिए बढ़ा दिया गया। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, भारत सरकार से उठाई गई कुल मात्रा में से 99.3 प्रतिशत अनाज पात्र लाभार्थियों को वितरित किया गया।

भारत सरकार ने पीएमजीकेएवाई के तहत सभी एनएफएस लाभार्थियों (यानी 72.78 लाख) को 1 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक 5 किलोग्राम अनाज (4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल) मुफ्त प्रदान किया है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने सभी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्डधारकों (यानी 56,700 कार्डधारकों) को 1 किलो चीनी मुफ्त प्रदान की।

10. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड

दिल्ली सरकार ने दिनांक 19.07.2021 से एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना लागू की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सभी उचित दर दुकानों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई–पीओएस लगाए गए। यह योजना लागू होने के बाद से दिल्ली में राशन का वितरण लाभार्थियों के बायोमैट्रिक (आधार) प्रमाणन के बाद ई–पीओएस के जरिये हो रहा है। यह योजना राशन कार्डों की राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करती है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पीडीएस लाभों तक प्रवासी लाभार्थियों की पहुंच सुलभ बनाती है। भारत सरकार के एकीकृत प्रबंधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आईएमपीडीएस) पोर्टल के अनुसार, जो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सुविधा के लिए है, दिल्ली में सबसे अधिक यह सुविधा उपलब्ध कराई गई। दिल्ली में यह योजना लागू होने के बाद से इसके तहत पूरे देश में हुए कार्यसंपादन का लगभग 70 प्रतिशत यहां हुआ। एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड से संबंधित जानकारी/इसकी व्यवहार्यता के बारे में जानकारी देने के लिए एक टोल फ्री नंबर– 14445 शुरू किया गया है।

11. मार्केट इंटेलीजेंस सेल (एम–आई सेल)

1. रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के अंतर्गत खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का मार्केटिंग इंटेलिजेंस सेल, तीन निर्दिष्ट खुदरा बाजारों यानी यूसुफ सराय (उच्च मूल्य), घंटा घर (मध्यम मूल्य), शाहदरा (कम मूल्य) और नया बाजार, खारी बाबली में थोक बाजार से 23 अनिवार्य वस्तुओं की दरें एकत्र करता है। यह कार्य भारत सरकार, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के माननीय मंत्री और उच्च

अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए जियो टैगिंग यानी मूल्य निगरानी प्रणाली के माध्यम से एक मोबाइल ऐप के ज़रिए किया जाता है।

2. फलों और सब्जियों की थोक दरें कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी), [अर्थात् आजादपुर मंडी] से एकत्र की जाती हैं और उन्हें सारणीबद्ध किया जाता है तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया जाता है। बेहतर मूल्य निगरानी और मूल्यांकन के लिए, 23 अनिवार्य वस्तुओं की दरें/कीमतें और केंद्रीय भंडार से दैनिक और साप्ताहिक दरें एकत्र करने के लिए तैनात फील्ड स्टाफ द्वारा दैनिक सर्वेक्षण दरें ली जाती हैं।

3. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे सभी व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, जिनमें खुदरा विक्रेतां, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता और प्रोसेसर शामिल हैं, जिनके पास दालों, खाद्य तेल का पर्याप्त स्टॉक है, उन्हें अपने स्टॉक की स्थिति भारत सरकार के पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है। मार्केट इंटेलिजेंस (एमआई) सेल एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इन सभी वस्तुओं की स्टॉक स्थिति पर नियमित रूप से नजर रखता है।

4. भारत सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए गेहूं और चीनी के वास्ते एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है ताकि उपभोक्ताओं को ये वस्तुएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सकें, जिसकी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के पास अनिवार्य वस्तुओं और सब्जियों की कीमतों पर कोई अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण नहीं है।

अध्याय एक नजर में

➢	भारत सरकार द्वारा एनएफएस अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के तुरंत बाद 1 सितंबर, 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करने वाला दिल्ली पहला राज्य था।
➢	रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार का सार्वजनिक वितरण नेटवर्क, जिसमें दिल्ली भर में 1997 उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) शामिल हैं, 31 मार्च 2023 तक 17.84 लाख डिजिटल खाद्य सुरक्षा कार्डों के माध्यम से 72.78 लाख लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है।
➢	31 मार्च 2023 तक, दिल्ली में अंत्योदय अन्न योजना के तहत 2,80,264 सदस्यों वाले कुल 68,733 परिवार लाभार्थी थे।
➢	सरकार. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वामित्व वाले/द्वारा संचालित कल्याण संस्थानों और बाल निकेतन, लड़कियों के लिए चिल्ड्रेन होम–I और II , महिलाओं के लिए आफ्टर केयर होम, बालिका गृह जैसे अजा/अजजा और अपिव छात्रावासों में रहने वाले निराश्रित लोगों को बीपीएल दरों पर अनाज उपलब्ध करा रही है।
➢	वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, भारत सरकार से उठाई गई कुल मात्रा में से 99.3% अनाज पीएमजीकेएवाई योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को वितरित किया गया था।